04/11/25 पत्रावली पेश हुई में आज क्रमार्थ में लेते हैं।
पत्रावली दिनांक 07/11/25 को पेश करें।

07/11/25 पत्रावली पेश हुई प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विपक्षी नं (2) द्वारा ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया है एवं विपक्षी नं (1) का जवाब नहीं किया जा सका है। तहसीलदार शाहपुरा राज पक्ष की ओर से उपस्थित है प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आगामी निर्णयार्थ पेश किये जाने हेतु निर्देश दिया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रहड़ पटा रहड़ तहसील शाहपुरा (भीलवाड़ा) निवासी प्रार्थी की दादी 35 बीघा 03 बीघा पत्नि बालू पिता देवजी आदि के नाम दर्ज है। विवादित आराजियात जरिये विक्रयपत्र नामा नं. 14876 द्वारा बालू आदि के नाम लादू पिता बालू आदि के नाम दर्ज हुई है जो आराजी आराजी है। अप्रार्थी नं (1) के पिता व बालू पिता देवजी आदि द्वारा उक्त वर्णित आराजियात दिनांक 20-06-1973 को अप्रार्थी नं. 02 लादू पिता कल्याण मीणा ने 800/- रुपये में विक्रय कर रजिस्ट्री करा दी। दिनांक 14-12-18 को अप्रार्थी नं (2) द्वारा इस प्रार्थी तहसीलदार शाहपुरा के कार्यालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पत्र नं (2) में वर्णित आराजी अप्रार्थी नं (1) के पिता के जरिये रजिस्ट्री दिनांक 20-06-1973 को खरीदी की तब से ही अप्रार्थी (2) का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है परन्तु नामान्तरण नहीं करवाया। अब विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है एवं उपरि वारिसान इसके (अप्रार्थी नं 2) साली जी मौजूद एवं आमदा काश्तकारी है। अप्रार्थी नं (2) द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच पटवारी हल्का रहड़ द्वारा करवाई जाने पर जाहिर किया कि प्रार्थी के पत्र नं (1) में वर्णित आराजी वर्तमान में लादू पिता बालू आदि रहड़ के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी को वर्तमान काश्तकार के पिता ने प्रार्थी लादू मीणा को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। तब से आज तक लगभग 45 वर्षों से इस आराजी पर निर्विवाद काबिज व्यवस्था रकबा 0.80 है बने है पर लादू मीणा काश्तकार व खातेदार की फर्जी काश्त की गई है। प्रार्थी भूमिधारी द्वारा जब यह कहा है कि उक्त बयान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 की गवाहान में दाखिल कराया गया है। क्या ऐसे बयान

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

[illegible] विक्रय किया जो कि अनुसूचित जाति का है तथा पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से उक्त काश्तकार अपनी सहमति से विक्रय कर प्रतिफल राशि प्राप्त कर चुका है एवं क्रेता को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर चुका है परन्तु बेचान विधि विरुद्ध होने के सम्बन्ध में प्रकरण नहीं कराया गया है एवं इसका मामला दर्ज नहीं हुआ है अतः बेचान धारा 42बी की अवहेलना में सहमति के बेचान किया गया है जो अवैध होकर काबिज रकबा राज एवं बेदखल है अतः प्रकरण दर्ज का मामला है एवं सुविधा सन्तुलन की प्रार्थी के पक्ष में है विपक्षीगण के विरुद्ध सरकारी निषेधाज्ञा जारी कर उद्घोषणा नहीं गया तो वे वाद्ग्रस्त भूमि को खुर्द कर सकते हैं जिससे प्रार्थी के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए विपक्षीगण के विरुद्ध सरकारी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार बालेसर की एक रिपोर्ट बुलाई गई। जिस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सही पाई जाने पर प्रार्थना पत्र मंजूर किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पत्रावली प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को देखा गया। प्रार्थी श्रीमती लाडूराम जो कि अनुसूचित जाति की है जिसके पिता द्वारा अपनी भूमि का विक्रय प्रार्थी श्रीमती जो अनुसूचित जनजाति का है को किया गया। जो स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी का उल्लंघन है एवं ऐसा विक्रय उक्त धारा की अवहेलना की श्रेणी में आता है अतः प्रकरण दर्ज का प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं सुविधा सन्तुलन की प्रार्थी के पक्ष में है अतः उपरोक्त निवेदन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42बी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बालेसर को सरकारी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वाद ग्राम [illegible] तहसीलदार बालेसर के द्वारा भारतीय प्रक्रिया संहिता 1908 के किसी भी कार्य पूर्ण न करें न करावे।

पत्रावली में अंकित कुमार लोकेश के कथन लेकर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
बालेसर, जिला- भीलवाड़ा (राज.)